

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरौही
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 44 / 2023

प्रार्थी

श्रीमती शकुन्तला मेवाडा पत्नि श्री श्यामलाल जाति मेवाडा कलाल निवासी पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

विपक्षीगण

1. सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली जिला पाली।
3. तहसीलदार पिण्डवाडा।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपटित
आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :-

1. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

:: निर्णय ::


दिनांक : 14.12.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा द्वारा मौजा पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के खसरा संख्या 2309 की भूमि को नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त कर उक्त भूमि के दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु दिनांक 18.04.2012 को प्रस्तुत किया, जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 102/2012 अनवान श्रीमती शकुन्तला बनाम सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा व अन्य के नाम से दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान् दिनांक 12.12.2015 को निर्णय पारित किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया पाली द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही में प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही द्वारा दीवानी विविध(आरबीट्रेशन) संख्या 87/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2018 के द्वारा नेशनल हाईवे ऑथोरिटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित पंचाट आदेश दिनांक 12.12.2015 को निरस्त कर विधि अनुसार आवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही के निर्णय की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को नोटिस जारी किए गए, जिस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी।



आरबीट्रेटर
जिला कलक्टर सिरौही

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की राजस्व भूमि खसरा संख्या 2309 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा मौजा पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा द्वारा उसे कृषि भूमि मानते हुए अवाप्त की जाकर उसका एवार्ड जारी किया है, जो गलत है। यह है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की जानकारी होते ही प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में उपस्थित हुआ, तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि अभी तक प्रार्थी के पक्ष में वाणिज्यिक भूमि का नामान्तरण दायर नहीं हुआ है, जिससे उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। यह है कि मौजा पिण्डवाडा के खसरा संख्या 2309 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा की भूमि में से 2627 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29.06.2006 को जारी किया गया एवं उसका नियमानुसार नामान्तरण दायर करने हेतु तहसीलदार पिण्डवाडा एवं पटवार हल्का पिण्डवाडा-II को कॉपी प्रेषित की गई थी। यह है कि प्रार्थी को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन आदेश प्राप्त होने से प्रार्थी सन्तुष्ट था कि पटवारी हल्का उसका नियमानुसार नामान्तरण दायर कर देंगे। यह है कि दिनांक 29.06.2006 के आदेश से पहले भी प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कर रहा था एवं इसके आसपास की भूमि को भी या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित किया जा रहा है या भूमि के मालिकों द्वारा इसका उपयोग गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग लिया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 26.07.2010 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पिण्डवाडा को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि में शहरी क्षेत्र में आती है, जिससे इसका उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 2309 की भूमि को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समस्त औपचारिकताओं के साथ दिनांक 28.03.2006 को आवेदन किया, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई, तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के खसरा संख्या 2309 की भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के लिए दिनांक 29.06.2006 को परिवर्तित किया दिया, उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में की गई, जिसमें उक्त अपील को स्वीकार किया गया। इसी समय राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 को जारी कर दी गई। यह है कि प्रार्थी को जानकारी होते ही अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में दर्ज प्रकरण संख्या 178/2011 में अपनी तरफ से आपत्ति प्रस्तुत की एवं अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक भूमि मानकर देने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने यह आदेश पारित किया कि वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म बरानी-1 दर्ज है एवं 90बी के सम्बन्ध में रेकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं होने से आपत्ति खारिज कर उक्त भूमि का एवार्ड कृषि भूमि मानते हुए जारी करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व आपत्ति को कन्सीडर नहीं किया गया है, जबकि अवाप्ति



भुल्लो
आचार्य टंकर
जिला कलेक्टर सिरोही

की कार्यवाही के समय उक्त भूमि वाणिज्यिक भूमि थी एवं उसका उपयोग भी वाणिज्यिक भूमि के रूप में ही किया जा रहा था। यह है कि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 को जारी की गई थी, जबकि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का वाणिज्यिक रूपान्तरकरण आदेश दिनांक 29.06.2006 को जारी हो गया था, जिससे स्पष्ट है कि जब भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी की गई थी उस समय प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक भूमि थी। अतः प्रार्थी उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी था, तदनुसार उस समय की प्रचलित बाजार दर 500/- रूपए वर्गफीट की दर से प्रार्थी अपनी अवाप्तशुदा भूमि का न्यूनतम मुआवजा रूपए 4,21,98,500/- प्राप्त करने का अधिकारी था। यह है कि धारा 3जी के तहत बाजार मूल्य का विस्तृत अर्थ अधीनस्थ अधिकारी ने नहीं समझा है, जबकि बाजार मूल्य के आधार पर विलिंग सेलर एवं विलिंग पर्चेजर के मध्य होने वाली राशि एक महत्वपूर्ण आधार है, इसके अतिरिक्त लोकेलिटी, प्रोसेबिलिटी, आस-पास की व्यावसायिक गतिविधि को भी मध्यनजर रखना चाहिए था, परन्तु प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा रही थी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा न्यूनतम मुआवजा रूपए 4,21,98,500/- एवं अन्य कोई अनुतोष, जो श्रीमान उचित समझे, दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा पिण्डवाडा के खसरा संख्या- 2309 का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), पिण्डवाडा द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह है कि उक्त भूमि की उद्घोषणा धारा 3ए के तहत जारी की गई थी, उस समय प्रार्थी को भूमि की स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया था कि नामान्तरकरण की कार्यवाही जल्द ही करवा कर अप्रार्थीगण को सूचित कर दे, परन्तु उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण की कोई कार्यवाही नहीं की, जो प्रार्थी स्वयं की गलती थी, जिस बाबत उसको मुआवजा राशि कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से मुआवजा राशि नहीं दिलाई गई। यह है कि प्रार्थी की जमीन बाबत जो अधिसूचना धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई, उस दिनांक को प्रार्थी के उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत दस्तावेज का पूर्ण रूप से अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं उसको पूर्ण सुनवाई का मौका देकर मुआवजा निर्धारण किया गया है। यह है कि धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत प्रार्थी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए में उद्घोषणा जारी कर अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के तहत आपत्तियों आमंत्रित की गई थी और समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्ण अवसर प्रदान कर उक्त अधिनियम की धारा 3 डी के तहत अवाप्त अधिसूचना जारी की गई। उक्त समस्त कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पूर्ण समुचित विधिक अवसर प्रदान किया गया। ऐसी दशा में समुचित अवसर देकर फरित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। यह है कि अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का तत्समय स्वत्व स्वामित्व निहित नहीं रहा है, स्वामित्व



Bello
 कलेक्टर
 जहानपुर

सम्बन्धी वैध प्रलेखों के अभाव में तथा अभिलेख अस्तित्व में नहीं होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं रहा है। यह है कि मौजा पिण्डवाडा के खसरा संख्या 2309 अवाप्ति में शामिल होने से हितबद्ध व्यक्तियों के दावे आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया, जिसकी विधिवत् सुनवाई की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की भूमि बारानी-1 दर्ज होने से प्रार्थी को उक्तानुसार मुआवजा जारी किया गया है। यह है कि उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के अन्तर्गत अधिसूचना धारा 3ए, 3बी एवं 3सी की जानकारी प्रार्थी को शुरुआत से थी एवं इस बाबत उसको सूचित भी कर दिया था, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करना प्रार्थी की स्वयं की गलती थी, जबकि मुआवजा निर्धारण के समय प्रार्थी के दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन किया गया एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि बाबत स्वत्व स्वामित्व के दस्तावेज रिकॉर्ड पर होने पर ही भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है, साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा पिण्डवाडा पटवार हल्का पिण्डवाडा-11 तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के खसरा संख्या 2309 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्ति की गई थी एवं प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म बारानी-1 दर्ज थी। चूंकि मौजा पिण्डवाडा के खसरा संख्या 2309 की भूमि 03 बीघा 02 बिस्वा में से 2627 वर्गगज भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण आदेश उपखण्ड अधिकारी आवूपर्वत द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/रूपा./90बी/प्रकरण सं. 1/2006-07/995-1000 दिनांक 29.06.2006 को अन्तर्गत धारा 90(ख)(5) प्रार्थी के हक में किया था, लेकिन प्रार्थी की भूमि का वाणिज्यिक सम्बन्धी नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया था एवं न ही प्रार्थी द्वारा उक्त वाणिज्यिक परिवर्तित भूमि का अपने पक्ष में पट्टा विलेख प्राप्त किया। इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी आवूपर्वत द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/रूपा./90बी/प्रकरण सं.1/06-07/07-08/815-822 दिनांक 03.05.2007 के द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण आदेश को निरस्त कर प्रार्थी की भूमि की खातेदारी को पुनः बहाल कर दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण आदेश को निरस्त करने से सम्बन्धित आदेश दिनांक 03.05.2007 की अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर की गई, जो अपील संख्या 83/2011 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान् दिनांक 24.10.2011 को अपील को स्वीकार प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी आवूपर्वत) नगरपालिका पिण्डवाडा के आदेश दिनांक 03.05.2007 को अपास्त किया जाकर मूल आदेश दिनांक 29.06.2006 को यथावत रखा गया। चूंकि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 को जारी की गई थी, उस समय उपरोक्त वर्णित अवाप्ताधीन भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषि बारानी-1 दर्ज थी। यानिकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी की गई थी, उस दिन अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है, जो कृषि बारानी-1 थी।



महल
जिल्हाधिकारी
सिरोही

प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 2309 का व्यावसायिक रूपान्तरण दिनांक 29.06.2006 होने से लेकर अवाप्त होने तक वाणिज्यिक से सम्बन्धित नामान्तरकरण दर्ज करने की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी होने पर सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की, जो 178/2011 पर दर्ज रजिस्टर की गई, जिस पर विधिवत् सुनवाई की जाकर तत्समय में उक्त भूमि की किस्म बारानी-1 दर्ज होने एवं 90बी के सम्बन्ध में रेकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं होने से प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित भूमि का वाणिज्यिक भूमि मानकर मुआवजा देय नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी होने पर प्रार्थी को यह भलीभांति ज्ञान हो गया था कि उक्त भूमि का वाणिज्यिक से सम्बन्धित नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है, परन्तु इसके पश्चात् भी प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयवधि में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत् किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किए जाने का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं की ओर से नामान्तरकरण दर्ज करवाने की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः 90बी से सम्बन्धित दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि मानकर देय किया गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि बाबत् जो अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई थी उस दिनांक को प्रार्थी का उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत् दस्तावेज का पूर्ण अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उक्त मुआवजे का निर्धारण किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत् अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अभिलेख एवं अधिसूचना अनुसार भूमि की किस्म कृषि बारानी-1 है। ऐसी स्थिति में यदि बाद में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया भी जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार उसका मुआवजा देय नहीं है, जिसके आधार पर भी प्रार्थी अवाप्त भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा अपनी वेल्युवेशन रिपोर्ट विधिक आधार पर ही तैयार की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है। मुआवजा राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि किए जाने का आधार नहीं होने से प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भैवर लाल)

जिला कलक्टर, (आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज0)

